



प्रेस नोट

थाना- कपूरपुर

दिनांक:- 31-10-2022

थाना कपूरपुर पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 66/2022 धारा 307, 34 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध पिस्टल व मोटर साइकिल बरामद ।

कार्यवाही:-

हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कपूरपुर पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 66/2022 धारा 307,34 भादवि में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध पिस्टल व मोटर साइकिल बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कपूरपुर पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार का स्थान:- ग्राम सिरोधन के पास ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

विशाल राणा पुत्र विरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम सिरोधन थाना कपूरपुर जनपद हापुड़ ।

बरामदगी का विवरण:-

घटना में प्रयुक्त अवैध पिस्टल व एक आर-15 मोटर साइकिल रजि० नं० UP 37N 3427 सम्बन्धित मु०अ०सं० 66/2022 धारा 307,34 भादवि थाना कपूरपुर जनपद हापुड़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. व०उ०नि० श्री लालाराम शर्मा थाना कपूरपुर जनपद हापुड़ ।
2. है०का० 429 श्योराज सिंह थाना कपूरपुर जनपद हापुड़ ।
3. का० 321 राजेश कुमार थाना कपूरपुर जनपद हापुड़ ।